प्रधान कार्यालय,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

मुख्य सहायक से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी विवरण।

चयन वर्ष 2011–12

टिप्पणी एवं आदेश

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर मुख्य सहायक एवं कन्सोल आपरेटर के पद से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनॉक 17/03/2012 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मुख्य सहायक एवं कन्सोल आपरेटर के पद से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 वेतनमान रू0 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना रू0 5000–150–8000) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने हैं।

कृपया चयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के रिक्त पदो के सापेक्ष निम्नानुसार कार्मिकों की कार्य हित में पदोन्नति/तैनाती की जानी समीचीन होगी :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
	सामान्य संवर्ग :–				
01.	श्रीमती विभा साह	श्री मनोहर लाल शाह	निर्माण विंग, हल्द्वानी	निर्माण शाखा, रामनगर	जनहित
02.	मोहन चन्द्र शर्मा	श्री धर्मा नन्द शर्मा	निर्माण विंग, हल्द्वानी	निर्माण शाखा, पिथौरागढ़	जनहित
03.	श्रीमती रेना पाण्डेय	श्री भगवती प्रसाद पाण्डे	निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा	डि0नि0 शाखा, अल्मोड़ा	स्थानीय
04.	अनिल कुमार सिंघल	स्व0 श्री जे0डी0सिंघल	प्रधान कार्यालय, देहरादून	निर्माण शाखा, हरिद्वार	जनहित
05.	उमादत्त पुरोहित	श्री माधवानन्द पुरोहित	निर्माण इकाई, गोपेश्वर	डि0नि0 शाखा, कोटद्वार	जनहित
06.	दिनेश प्रसाद खाली	श्री टीकाराम खाली	निर्माण मण्डल, गोपेश्वर	निर्माण शाखा, गोपेश्वर	स्थानीय जनहित
07.	विजय सिंह गुसाई	श्री अवतार सिंह	निर्माण मण्डल, गोपेश्वर	निर्माण शाखा, ~~देवप्रयाग~~	जनहित
08.	मोहन सिंह नेगी	श्री नारायण सिंह नेगी	महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, श्रीनगर	निर्माण शाखा, उत्तरकाशी	जनहित
09.	गजेन्द्र सिंह चौहान	श्री चन्द सिंह चौहान	निर्माण इकाई, चम्बा	निर्माण ~~शाखा, नई टिहरी~~ एवं अनु० इकाई (गंगा) (सिविल)	जनहित
10.	सतीश चन्द्र जखमोला	स्व0 श्री शालीग्राम जखमोला	महा0,नि0नि0 (गंगा) हरिद्वार (सम्बद्ध नि0शा0 कोटद्वार)	निर्माण शाखा, कोटद्वार	स्थानीय
11.	बालेन्द्र दत्त थपलियाल	श्री पूर्णानन्द थपलियाल	नि0मण्डल, नई टिहरी	नि0 ~~एवं अनु0 इकाई (गंगा)(सिविल), उत्तरकाशी~~	~~जनहित~~ स्थानीय
	अनु0जाति वर्ग :–				
12.	कमल कुमार	स्व0 श्री खुशीराम	यॉत्रिक मण्डल, देहरादून	नि0 एवं अनु0 इकाई (गंगा) (सिविल), हरिद्वार	जनहित
13.	मंगल सिंह	श्री लालचन्द	निर्माण इकाई, चकराता	निर्माण शाखा, पुरोला	स्थानीय
14.	तेजेन्द्र कुमार	स्व0 श्री धरम राम	नि0 इकाई(यॉत्रिक) हल्द्वानी	नि0 एवं अनु0 इकाई (गंगा) (यॉत्रिक), हरिद्वार	जनहित
	अनु0जनजाति वर्ग :–				
15.	सुमन्द्र सिंह खम्पा	स्व0 श्री प्रेम सिंह खम्पा	मुख्य अभि0(कु0), नैनीताल, (सम्बद्ध नि0 विंग, हल्द्वानी)	निर्माण शाखा, चम्पावत	जनहित

उपरोक्त सभी पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती कार्यालय पर दिनॉक ~~31/03/2012~~ 12/04/2012 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं, उक्त दिनॉक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्रमाँक – 03, 06, 10, एवं 13 पर अंकित कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के फलस्वरूप इन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा। शेष क्रमांक – 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 14 एवं 15 पर अंकित कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में होने के कारण इन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्राभत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का स्वच्छ आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर आपके अवलोकनार्थ रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।

महाप्रबंधक (भूजल/सर्वेक्षण)

मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रबन्ध निदेशक

③

"टिप्पणी एवं आदेश"

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर मुख्य सहायक एवं कन्सोल आपरेटर के पद से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनॉक 17.03.2012 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त **(पताका–1)** आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

उल्लेखनीय है कि दिनॉक 17.03.2012 को हुई चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या–2 की तालिका के क्रमांक–12, 13 एवं 14 पर अंकित निम्नानुसार कार्मिकों को वरिष्ठता क्रम में 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल एवं सम्भावित रिक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त पाते हुए पदोन्नति हेतु चयन किया गया है।

क्र0सं0	कार्मिका का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती कमलेश चन्द्र देउपा	मुख्य सहायक
2.	श्री गिरीश लाल वर्मा	मुख्य सहायक
3.	श्री तुला लाल वर्मा	मुख्य सहायक

कृपया पत्रावली के दांयी ओर कार्यालय ज्ञाप संख्या–514 / अधि0अनु0–प्रशा0अधि0ग्रेड–2 / 06, दिनॉक 31.03.2012 **(पताका–2)** आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उक्त कार्यालय ज्ञाप के सामान्य संवर्ग के क्रमांक–01 से 11 तक तथा आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत क्रमांक–12 से 15 तक के कार्मिकों की पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये हैं।

सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत क्रमांक–01 पर अंकित श्रीमती विभा शाह एवं क्रमांक–08 पर अंकित श्री मोहन सिंह नेगी, मुख्य सहायक द्वारा पदोन्नत कार्यालय में निर्धारित तिथि 12.04.2012 तक कार्यभार ग्रहण न करने के कारण पदोन्नति फारगो कर दी गयी है, जिस कारण प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के 02 पद रिक्त हो गये हैं। आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत सभी 04 पदोन्नत कार्मिकों द्वारा अपने पदोन्नत कार्यालय में कार्यभार कर लिया गया है।

सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के हुए 02 रिक्त पदों पर चयन समिति द्वारा वरिष्ठता में चयनित पात्र अभ्यर्थियों क्रमशः श्रीमती कमलेश चन्द्र देउपा एवं श्री गिरीश लाल वर्मा, मुख्य सहायक की पदोन्नति उपरान्त तैनाती की जानी समीचीन होगी। वर्तमान में निम्नानुसार रिक्त पदों पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में पदोन्नति उपरान्त तैनाती की जानी होगी, ताकि रिक्त पदों पर को भारित किया जा सके।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
	सामान्य संवर्ग :–				
01.	श्रीमती कमलेश चन्द्र देउपा	श्री कुण्डल चन्द्र देउपा	निर्माण मण्डल, पिथौरागढ़	नि0शा0, रामनगर	जनहित
02.	श्री गिरीश लाल वर्मा	श्री तुलाराम वर्मा	प्रधान कार्यालय, देहरादून (सम्बद्ध द्वि0नि0शा0 कोटद्वार)	नि0शा0, उत्तरकाशी	जनहित

क्रमशः.................2-

उक्त पदोन्नत कार्मिकों को अपने तैनाती कार्यालय पर दिनाँक 25.05.2012 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं, उक्त दिनॉक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति जनहित में होने के कारण इन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्राभत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का स्वच्छ आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।

मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रबन्ध निदेशक

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

P.O.

पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दि० 22-06-2012 तक का समय (विलम्बतम) देने के प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित।

13/06/12

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वे)

13/6/12

(5)

"टिप्पणी एवं आदेश"

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर मुख्य सहायक एवं कन्सोल आपरेटर के पद से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनाँक 17.03.2012 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त (पताका–1) आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 17.03.2012 को हुई चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या–2 की तालिका के क्रमांक–12, 13 एवं 14 पर अंकित निम्नानुसार कार्मिकों को सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठता क्रम में 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल एवं सम्भावित रिक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त पाते हुए पदोन्नति हेतु चयन किया गया है।

क्र0सं0	कार्मिका का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती कमलेश चन्द देउपा	मुख्य सहायक
2.	श्री गिरीश लाल वर्मा	मुख्य सहायक
3.	श्री तुला लाल वर्मा	मुख्य सहायक

सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल एवं सम्भावित रिक्तियों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों में से इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 916/अधि0अनु0–प्रशासनिक अधि0 ग्रेड–2/12, दिनाँक 13.06.2012 (पताका–2) के द्वारा श्रीमती कमलेश चन्द्र देउपा एवं श्री गिरीश लाल वर्मा के पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त के सन्दर्भ में श्रीमती कमलेश चन्द्र देउपा द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, रामनगर का पत्रांक 1224/अधिष्ठान–03/39, दिनाँक 22.06.2012 (पताका–3) संलग्न है। श्री गिरीश लाल वर्मा, मुख्य सहायक द्वारा पदोन्नति अस्वीकार कर दी गयी है, जिस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कोटद्वार का पत्रांक 1875/अधि0–4/65, दिनाँक 22.06.2012 (पताका–4) संलग्न है।

उपरोक्तानुसार श्री गिरीश लाल वर्मा, मुख्य सहायक के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 का एक पद रिक्त हो गया है। उक्त रिक्त पद पर चयन समिति द्वारा वरिष्ठता क्रम में चयनित श्री तुला लाल वर्मा, मुख्य सहायक की पदोन्नति उपरान्त तैनाती की जानी समीचीन होगी। श्री गिरीश लाल वर्मा, मुख्य सहायक को पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति द्वारा चयन वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत चयनित किया गया है तथा उक्त चयन दिनाँक 30.06.2012 तक ही मान्य है।

श्री गिरीश लाल वर्मा, मुख्य सहायक की पदोन्नति निर्माण शाखा, उत्तरकाशी में की गयी थी। उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण निर्माण शाखा, उत्तरकाशी में प्रशासनिक अधिकारी–2 का पद रिक्त है। अतः उक्त रिक्त पद पर श्री गिरीश लाल वर्मा की पदोन्नति उपरान्त तैनाती निम्नानुसार की जानी होगी, ताकि रिक्त पद को भारित किया जा सके।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
	सामान्य संवर्ग :–				
01.	श्री तुला लाल वर्मा	श्री श्याम लाल वर्मा	निर्माण मण्डल, देहरादून	नि0शा0, उत्तरकाशी	जनहित

क्रमशः..............7

उक्त पदोन्नत कार्मिक को अपने तैनाती कार्यालय पर दिनाँक 07.07.2012 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं, उक्त दिनाँक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति जनहित में होने के कारण इन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्राभत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का स्वच्छ आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।

मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रबन्ध निदेशक

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

अनुमोदित।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में मुख्य सहायक से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के वेतनमान रू0 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना 5000–150–8000) में रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2011–2012 हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला एजेण्डा नोट :–

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06–2 (92 अधि0)/2002, दिनाँक 12.12.2006 **(पताका–1)** द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में मुख्य सहायक से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के वेतनमान रू0 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना 5000–150–8000) में **43** पद स्वीकृत किये गये हैं। विभाग के पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे में वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर **28** प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत हैं। अतः **15** पद रिक्त है। रिक्त के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति कर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है।

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	विवरण	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0जन जाति	टिप्पणी
01	स्वीकृत पद	43	33	09	01	
02	कार्यरत	28	22	06	00	
	योग (कुल रिक्त पद)	**15**	**11**	**03**	**01**	

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1144/का–2/2001–53(1)/2001, दिनाँक 18 जुलाई, 2001 **(पताका–2)** द्वारा अनुसूचित जाति हेतु 19 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 04 प्रतिशत कुल **23** प्रतिशत् आरक्षण निर्धारित है। इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1455/कार्मिक–2/2001 दिनाँक 31.08.2001 **(पताका–3)** निर्धारित है। अतः प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के कुल स्वीकृत **43** पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति के **19** प्रतिशत् के अन्तर्गत **09** पद तथा अनुसूचित जनजाति के **04** प्रतिशत् के अन्तर्गत **01** पद बनता है।

सामान्य संवर्ग के **33** पदों के विरूद्ध **22** कर्मी कार्यरत हैं तथा **11** पद रिक्त हैं, अनुसूचित जाति के **09** स्वीकृत पदों के विरूद्ध **06** कर्मी कार्यरत हैं तथा **03** पद रिक्त हैं एवं अनुसूचित जनजाति के **01** पद के विरूद्ध कोई कर्मी कार्यरत नहीं है तथा **01** पद रिक्त है।

अतः सामान्य संवर्ग के **11** रिक्त पदों एवं अनुसूचित जाति के **03** रिक्त पदों तथा अनुसूचित जनजाति के **01** रिक्त पद को जोड़ते हुए कुल **11+3+1 = 15** रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

नियुक्ति का श्रोत :–

संरचनात्मक ढाँचे के गठन के उपरान्त शासनादेश संख्या 457/उन्तीस(1)/2010–(35अधि0)/07, दिनाँक 17.05.2010 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 अनुमोदित की गयी है, जो प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1088/प्रशासनिक अनुभाग–प्रबन्ध निदेशक आदेश/12, दिनाँक 21.05.2010 **(पताका–4)** के द्वारा प्रसारित की गयी है। अतः उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 के अधीन प्रश्नगत पदोन्नतियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

AO   EE (Kerni...)   S.O. (Bhujal) 14/3/12

अतः उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय विनियमावली, 2010 परिशिष्ट–(1) लिपिकीय सेवा के क्रमांक–04 के अनुरूप मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अथवा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक जिन्होंने संवर्ग में कुल 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति किये जाने का प्राविधान है।

वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियो की सूची :–

राज्य अधीन सेवा में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1194/42–1–2000–13/15/91, दिनॉक 19 मई, 2001 (पताका–5) के प्रस्तर–5 में उल्लेखित श्रेष्ठता (मैरिट) के आधार पर आयोजित चयनों के लिए, चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के यथासम्भव तीन गुना परन्तु कम से कम 8 ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम तथा "अनुपयुक्तों को छोड़ कर ज्येष्ठता" मापदण्ड पर आधारित चयनों के लिए निम्नलिखित गुणांक में ज्येष्ठता पात्र कार्मिकों के नाम पात्रता सूची में रखे जाने की नियमों में व्यवस्था हैं, जिसके अनुरूप ही पात्रता सूची तैयार की गई है।

(1) 1 से 5 रिक्तियों के लिए – रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम 5
(2) 5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़गना किन्तु कम से कम 10

उक्तानुसार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु मुख्य सहायक के सामान्य वर्ग एवं आरक्षित संवर्ग के अन्तर्गत वांछित सूची निम्नानुसार है :–

(क) मुख्य सहायक की वरिष्ठता सूची (पताका–6)।
(ख) मुख्य सहायक की कार्यरत सूची (पताका–7)।
(ग) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 वरिष्ठता सूची (पताका–8)।
(घ) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 कार्यरत सूची (पताका–9)।
(ङ) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची (पताका–10) ।
(च) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र मुख्य सहायकों का सेवा विवरण (पताका–11)।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण :–

वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1144/का–2/2001 53(1)/2001 दिनॉक 18 जुलाई, 2001 द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत है। इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1455/कार्मिक–2/2001 दिनॉक 31.08.2001 के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के कुल 43 स्वीकृत पद के सापेक्ष अनुसूचित जाति के 09 पदों के सापेक्ष 06 पद भरे हुए हैं तथा 03 पद रिक्त हैं तथा अनुसूचित जनजाति संवर्ग में रोस्टर के अनुसार प्रदोन्नति का 01 पद के सापेक्ष 01 पद रिक्त है।

EE

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :–

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 के विनियम–18 पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रक्रिया है :–

18 (1) – सेवा में लिपिकीय सेवा में पदोन्नति के सभी पदों पर भर्ती हेतु एक चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :–

(एक) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), देहरादून – अध्यक्ष
(दो) महाप्रबन्धक (भूजल एवं सर्वेक्षण), देहरादून – सदस्य
(तीन) महाप्रबन्धक (प्रशासन), देहरादून – सदस्य
(चार) अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), देहरादून – सदस्य सचिव
(पांच) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई – सदस्य अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछडी जाति से कोई अधिकारी नामित किया जायेगा जो अधिशासी अभियन्ता के पद से कम न हो अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

टिप्पणी :– वर्तमान में उक्त क्रमांक–4 पर अंकित अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक) से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन अधिशासी अभियन्ता (वि0यॉ0) द्वारा देखा जा रहा है।

18 (2) :– नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और पदोन्नति हेतु विचाराधीन कार्मिकों की चारित्र पंजिकाओं एवं उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों, जो उचित समझे जायें के साथ चयन समिति के समक्ष प्रोन्नति पर विचार हेतु रखेगा।

18 (3) :– चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और गुणावगुण के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों का चयन करेगी।

18 (4) :– चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे अनुमोदन हेतु विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

पदोन्नति के लिए मापदण्ड :–

सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए मापदण्ड अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता है।

टिप्पणी :–

1. चयन समिति की बैठक के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम अनिवार्य है।
2. चयन समिति उन सभी अभ्यर्थियों, जो पदोन्नति के पात्र हैं, के मामले में उनके गोपनीय प्रतिवेदन तथा ज्येष्ठता सूची में उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए उच्च पद जिसके लिए वह अभ्यर्थी हैं, पर नियुक्ति हेतु विचार करेंगे।
3. चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी तथा इस सूची के अनुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों की जायेगी। यह सूची चयन वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत (दिनॉक 01.07.2011 से 30.06.2012 तक) मान्य होगी।

PO. EE (Karmik) GM (Admin) 16/3/12

उल्लेखनीय है कि विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रही हैं। कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनाँक 08.07.2009 (पताका–12) में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली–2009" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनाँक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित की गयी है।

चयन वर्ष 2010–2011 के अन्तर्गत दिनाँक 24.02.2011 को मुख्य सहायक से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय चयन समिति का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। (पताका–13)

<u>गोपनीय प्रतिवेदन का संकलन</u> :–

पात्र अभ्यर्थियों के पिछले 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में अंकित प्रविष्टियों का विवरण संलग्न है (पताका–14) मूल चरित्र पंजिकायें एवं अन्य सुसंगत अभिलेख चयन समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

पात्र अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिकायत अनुभाग की सूचना के अनुसार प्रशासनिक/ अनुशासनिक जाँच सम्बन्धी विवरण (पताका–15)।

RO.   EE (Karmik)   G. M. (Nyay) 16/3/12

चयन वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत मुख्य सहायक से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) की अध्यक्षता में दिनॉक 17/03/2012 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढॉचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06–2 (92 अधि0)/2002 दिनॉक 12.12.2006 द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढॉचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के वेतनमान 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना रू0 5000–150–8000) में 43 पद स्वीकृत किये गये हैं।

विभाग के पुनरीक्षित संरचनात्मक ढॉचे में वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर 28 प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 कार्यरत है, जिनमें से सामान्य संवर्ग के 33 पदों के विरूद्ध 22 कार्मिक कार्यरत है तथा 11 पद रिक्त हैं, अनुसूचित जाति वर्ग में 09 पदों के विरूद्ध 06 कार्मिक कार्यरत है तथा 03 पद रिक्त हैं एवं अनुसूचित जाति के अन्तर्गत 01 पद के विरूद्ध कोई कर्मी कार्यरत नहीं है, जिस कारण 01 पद रिक्त है। अतः कुल 11+3+1 = 15, रिक्त पदों पर पदोन्नति की जानी है।

वर्तमान में कार्यरत मुख्य सहायक के पद से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक आहूत हुई, जिसमें चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र सं0 32/मु0अ0(मु0) गो0अधि0 सामान्य/12 दिनॉक 16.03.2012 द्वारा चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री एस0पी0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। – **अध्यक्ष**
2. श्री राजेश्वर प्रसाद, महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। – सदस्य
3. श्री वी0सी0 गर्ग, महाप्रबन्धक (भूजल एवं सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। – सदस्य
4. श्री पी0के0 गोयल, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। – **सदस्य सचिव**

चयन समिति के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया :–

1. मुख्य सहायक की वरिष्ठता/कार्यरत सूची।
2. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की वरिष्ठता/कार्यरत सूची।
3. पात्रता क्षेत्र के समस्त मुख्य सहायक के गत 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रविष्टि एवं मूल्यांकन का सार।

(12)

4. पात्र मुख्य सहायक के विरूद्ध अनुशासनिक/प्रशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।
5. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली–2010 जो कार्यालय ज्ञाप संख्या 1088/प्रशासनिक अनुभाग–प्रबन्ध निदेशक आदेश/12, दिनाँक 21.05.2010 के द्वारा प्रसारित है, के विनियम पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–18 के उपनियम–1 से 4 में।
6. ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 479/XXX(2)/2009–3(1)/2007, दिनाँक 08 जुलाई 2009
7. आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2/2001–53 (1)/2001 दिनाँक 18.07.2001
8. पदोन्नतियों में आरक्षण नीति के रोस्टर से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक–2/2001 दिनाँक 31.08.2001

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निम्नवत् संस्तुति की गयी :–

1. सामान्य वर्ग पात्रता सूची के अन्तर्गत निम्नानुसार पात्र अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाते हुए चयन कर पदोन्नति हेतु संस्तुति की गयी। (रोस्टर रजिस्टर क्रमांक–32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44)

क्रमांक	कार्मिक का नाम	पदनाम
01	श्रीमती विभा साह	मुख्य सहायक
02	मोहन चन्द्र शर्मा	मुख्य सहायक
03	श्रीमती रेना पाण्डेय	मुख्य सहायक
04	अनिल कुमार सिंघल	मुख्य सहायक
05	उमादत्त पुरोहित	मुख्य सहायक
06	दिनेश प्रसाद खाली	मुख्य सहायक
07	विजय सिंह गुसाई	मुख्य सहायक
08	मोहन सिंह नेगी	मुख्य सहायक
09	गजेन्द्र सिंह चौहान	मुख्य सहायक
10	सतीश चन्द्र जखमोला	मुख्य सहायक
11	बालेन्द्र दत्त थपलियाल	मुख्य सहायक

क्रमांक–01 से 11 तक रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नति।

क्रमांक	कार्मिक का नाम	पदनाम
12	श्रीमती कमलेश चन्द्र देउपा	मुख्य सहायक
13	गिरीश लाल वर्मा	मुख्य सहायक
14	तुला लाल वर्मा	मुख्य सहायक

क्रमांक–12 से 14 तक 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल एवं सम्भावित रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु चयन।

2. सामान्य वर्ग पात्रता सूची के क्रमांक–01 से 11 तक के पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति आदेश रिक्त पदों के विरूद्ध तुरन्त निर्गत किये जाने हैं। क्रमांक–12, 13 एवं 14 में वरिष्ठतानुसार 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल के रूप में अथवा दिनाँक 30.06.2012 तक सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पदों पर स्थिति अनुसार पदोन्नति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

17/3/12 17/3

3. अनुसूचित जाति वर्ग पात्रता सूची के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 09 पदों के विरूद्ध 06 कर्मी पूर्व से ही कार्यरत है। (रोस्टर रजिस्टर क्रमांक–01, 06, 11, 16, 21 एवं 26) तथा 03 पद रिक्त हैं, जिनके विरूद्ध निम्नानुसार कार्मिकों को उपयुक्त पाते हुए पदोन्नति हेतु संस्तुति की गयी। (रोस्टर रजिस्टर क्रमांक–31, 36, 41)

क्रमांक	कार्मिक का नाम	पदनाम
01	कमल कुमार	मुख्य सहायक
02	मंगल सिंह	मुख्य सहायक
03	तेजेन्द्र कुमार	मुख्य सहायक

क्रमांक–01, 02 एवं 03 तक रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नति

क्रमांक	कार्मिक का नाम	पदनाम
04	गोबिन्द राम	मुख्य सहायक

क्रमांक–04 को 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल एवं सम्भावित रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु चयन।

4. अनुसूचित जाति वर्ग पात्रता सूची के क्रमांक–04 पर अंकित वरिष्ठतानुसार 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल के रूप में अथवा दिनॉक 30.06.2012 तक सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पदों पर स्थिति अनुसार पदोन्नति आदेश निर्गत किये जायेंगे।
5. आरक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में 01 पद रिक्त है (रोस्टर क्रमांक–24)। उक्त रिक्त पद के विरूद्ध आरक्षित कोटे के अन्तर्गत वरिष्ठता क्रम में श्री सुभान्द्र सिंह खम्पा को उपयुक्त पाते हुए पदोन्नति हेतु संस्तुति की गयी।

उक्त चयन वर्ष 2011–2012 के लिए मान्य होगा।

(पी0के0 गोयल)
अधिशासी अभियन्ता
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

(वी0सी0 गर्ग) 17/3/12
महाप्रबन्धक (भूजल / सर्वेक्षण)
एवं सदस्य
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

(राजेश्वर प्रसाद) 3/04
महाप्रबन्धक (प्रशासन) एवं सदस्य
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

(एस0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु0) एवं अध्यक्ष
चयन समिति,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

36. श्री गोबिन्द ... पदोन्नति ... की जाती है
41. श्री ... पदोन्नति ... की जाती है

कार्यालय : 2678078
: 2672404
फैक्स : 0135-2672337
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 1276 /अधि0अनु0अधि0प्रशा0अधि0 ग्रेड-2 /17 दिनांक 4/08/12

कार्यालय ज्ञाप

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं0 1011/अधि0अनु0-प्रशासनिक अधि0ग्रेड-2/14 दिनांक 30.06.2012 में आंशिक संशोधन करते हुए एवं 1086/अधि0अनु0अधि0प्रशा0अधि0ग्रेड-2/15 दिनांक 09.07.2012 के तारतम्य में एतद द्वारा श्री तुला लाल वर्मा, मुख्य सहायक, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून की पदोन्नति उपरान्त प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 के पद पर तैनाती तुरन्त से केन्द्रीय भण्डार शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून में रिक्त पद पर की जाती है। श्री वर्मा पदोन्नत पद पर तैनाती कार्यालय में दिनांक 09.08.2012 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

श्री तुला लाल वर्मा, मुख्य सहायक की पदोन्नति उपरान्त तैनाती स्थानीय होने के फलस्वरूप इन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नही होगा।

उक्त तिथि तक पदोन्नत पद (प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2) पर कार्यभार ग्रहण न करने की परिस्थिति में उक्त पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा इसके लिए श्री वर्मा, मुख्य सहायक का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

P.O
8/8

(योगेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु0)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (गढ़0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून/नई टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तरकाशी।
6. अधिष्ठान अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

CE (H.Q)
7/8/12

4/8/12
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

कार्यालय : 2678078
: 2672404
फैक्स 0135-2672337
ई-मेल upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून (15)

पत्रांक 1011 / अधि0अनु0 - प्रशासनिक अधि0 ग्रेड-2 / 11 दिनांक 30 / 06 / 12

// कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) महोदय की अनुमति से निम्नलिखित मुख्य सहायक एवं कन्ट्रोल आपरेटर की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800 + ग्रेड-पे 4200 (पुराना रू0 5000-150-8000) में करते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में तैनाती / स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से की जाती है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता / पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
	सामान्य संवर्ग :-				
01.	श्री तुला लाल वर्मा	श्री श्याम लाल वर्मा	निर्माण मण्डल, देहरादून	नि0शा0, उत्तरकाशी	जनहित

उक्त पदोन्नत कार्मिक को अपने तैनाती कार्यालय पर दिनॉक 07 / 07 / 2012 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं, उक्त दिनॉक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त कार्मिक की पदोन्नति / तैनाती जनहित में होने के कारण इन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्राभत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

(एस0के0 गोयल)
महाप्रबन्धक (भूजल / सर्वेक्षण)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक / वित्त निदेशक / मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल / कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून, पौड़ी / नैनीताल।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता / परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक)

कार्यालय : 2676076
: 2672404
फैक्स 0135—2672337
ई—मेल upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयज[illegible]न विकास एंव निर्माण निगम

प्रधान कार्या[illegible]1—मोहिनी रोड, देहरादून

(16)

पत्रांक 916 / अधि0अनु0 — प्रशासनिक अधि0 ग्रेड—2 / 12 दिनांक 13/06/12

// कार्यालय—ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित मुख्य सहायक एवं कन्सोल आपरेटर की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड—2 के पद पर वेतनमान रूपये 9300—34800 + ग्रेड—पे 4200 (पुराना रू0 5000—150—8000) में करते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालयों में तैनाती / स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से की जाती है:—

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता / पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
	सामान्य संवर्ग :—				
01.	श्रीमती कमलेश चन्द देउपा	श्री कुण्डल चन्द्र देउपा	निर्माण मण्डल, पिथौरागढ़	नि0शा0, रामनगर	जनहित
02.	श्री गिरीश लाल वर्मा	श्री तुलाराम वर्मा	प्रधान कार्यालय, देहरादून (सम्बद्ध द्वि0नि0शा0 कोटद्वार)	नि0शा0, उत्तरकाशी	जनहित

उपरोक्त सभी पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती कार्यालय पर दिनॉक 22/06/2012 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं, उक्त दिनॉक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में होने के कारण इन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्राभत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

(एस0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (भूजल / सर्वेक्षण)

कार्यालय : 2678078
2672404
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11–मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 514 / अधि0अनु0 – प्रशासनिक अधि0 ग्रेड–2 / 06 दिनांक 31 / 03 / 12

// कार्यालय–ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित मुख्य सहायक एवं कन्सोल आपरेटर की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर वेतनमान रूपये 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना रू0 5000–150–8000) में करते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालयों में तैनाती/स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से की जाती है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
	सामान्य संवर्ग :–				
01.	श्रीमती विभा साह	श्री मनोहर लाल शाह	निर्माण विंग, हल्द्वानी	निर्माण शाखा, रामनगर	जनहित
02.	मोहन चन्द्र शर्मा	श्री धर्मा नन्द शर्मा	निर्माण विंग, हल्द्वानी	निर्माण शाखा, भिकियासैण	जनहित
03.	श्रीमती रेना पाण्डेय	श्री भगवती प्रसाद पाण्डे	निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा	द्वि0नि0 शाखा, अल्मोड़ा	स्थानीय
04.	अनिल कुमार सिंघल	स्व0 श्री जे0डी0सिंघल	प्रधान कार्यालय, देहरादून	निर्माण शाखा, हरिद्वार	जनहित
05.	उमादत्त पुरोहित	श्री माधवानन्द पुरोहित	निर्माण इकाई, गोपेश्वर	द्वि0नि0 शाखा, कोटद्वार	जनहित
06.	दिनेश प्रसाद खाली	श्री टीकाराम खाली	निर्माण मण्डल, गोपेश्वर	निर्माण शाखा, देवप्रयाग	जनहित
07.	विजय सिंह गुसाई	श्री अवतार सिंह	निर्माण मण्डल, गोपेश्वर	निर्माण शाखा, गोपेश्वर	स्थानीय
08.	मोहन सिंह नेगी	श्री नारायण सिंह नेगी	महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, श्रीनगर	निर्माण शाखा, उत्तरकाशी	जनहित
09.	गजेन्द्र सिंह चौहान	श्री चन्द्र सिंह चौहान	निर्माण इकाई, चम्बा	नि0 एवं अनु0 इकाई (गंगा)(सिविल) उत्तरकाशी	जनहित
10.	सतीश चन्द्र जखमोला	स्व0 श्री शालीग्राम जखमोला	महा0,नि0म0 (गंगा) हरिद्वार (सम्बद्ध नि0शा0 कोटद्वार)	निर्माण शाखा, कोटद्वार	स्थानीय
11.	बालेन्द्र दत्त थपलियाल	श्री पूर्णानन्द थपलियाल	निर्माण मण्डल, नई टिहरी	निर्माण शाखा, नई टिहरी	स्थानीय
	अनु0जाति वर्ग :–				
12.	कमल कुमार	स्व0 श्री खुशीराम	यौत्रिक मण्डल, देहरादून	नि0 एवं अनु0 इकाई (गंगा) (सिविल), हरिद्वार	जनहित
13.	मंगल सिंह	श्री लालचन्द	निर्माण इकाई, चकराता	निर्माण शाखा, पुरोड़ी	स्थानीय
14	तेजेन्द्र कुमार	स्व0 श्री धरम राम	नि0 इकाई(यौत्रिक) हल्द्वानी	नि0 एवं अनु0 इकाई (गंगा) (यौत्रिक), हरिद्वार	जनहित
	अनु0जनजाति वर्ग :–				
15.	सुभान्द्र सिंह खम्पा	स्व0 श्री प्रेम सिंह खम्पा	मुख्य अभि0(कु0), नैनीताल, (सम्बद्ध नि0 विंग, हल्द्वानी)	निर्माण शाखा, चम्पावत	जनहित

उपरोक्त सभी पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती कार्यालय पर दिनाँक 12 / 04 / 2012 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं, उक्त दिनाँक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्रमाँक – 03, 07, 10, 11 एवं 13 पर अंकित कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के फलस्वरूप इन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा। शेष क्रमांक – 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 14 एवं 15 पर अंकित कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में होने के कारण इन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्राभत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

(एस0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)